न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 05/2019 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2019/00027

उनवान

1. रमेशचन्द
2. भगवानदास

पुत्रगण बुद्धा जाति कल्हार निवासीगण मौहल्ला जोशी पाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. साबुद्दीन पुत्र बदरू कौम मुसलमान निवासी मौहल्ला चंगवरिया पाडा कस्बा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर(राज0)
2. हामिद हुसैन पुत्र मुन्ने खॉ कौम मुसलमान निवासी कैनरा बैंक के पास, खैरागढ तहसील खैरागढ जिला आगरा।
3. खुर्शीद पुत्र मुन्ने खॉ कौम मुसलमान निवासी कैनरा बैंक के पास, खैरागढ तहसील खैरागढ जिला आगरा।
4. शायराबानो पत्नी आजाद कौम मुसलमान निवासी मुल्ला का नगला जिला फिरोजाबाद(उ.प्र)
5. अजरा पत्नी सब्बीर कौम मुसलमान निवासी तेलीपाडा ताजगंज आगरा जिला आगरा।
6. गुडिया पत्नी सलीम कौम मुसलमान निवासी मुल्ला का नगला जिला फिरोजाबाद(उ.प्र.)

.....असल रेस्पोंडेंट।

7. राजेन्द्र पुत्र बुद्धा जााति कल्हार निवासी मौहल्ला जोशीपाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
8. शीला पुत्री बुद्धा पत्नी रमेशचन्द जाति कल्हार निवासी तानसेन नगर ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)
9. बाबू पुत्र बदरू कौम मुसलमान निवासी मौहल्ला चंगवरिया पाडा कस्आ बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 08.07.2017 प्रकरण संख्या 102/14 उनवानी शरीफन बनाम रमेश वगै0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :—

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 08.07.2017 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके कस्बा बाडी नम्बर 3 तहसील बाडी के पूर्व खातेदार काश्तकार बदरू पुत्र सेद खॉ जाति मुसलमान 1/2 हिस्से के एवं गजुआ पुत्र रम्पे जाति कल्हार निवासी कस्बा बाडी 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी रहे तथा बदरू को उक्त आराजी नोतोड संवत 2009 में तथा गजुआ को सवंत 2010 में नोतोड के रूप में मुताबिक जमाबन्दी व खसरा संवत 2010 लगायत 2013 प्राप्त हुयी। संवत 2013 से 2016 खाता संख्या 175 व उसके बाद संवत 2017 लगायत 2020 खाता संख्या 531 में बदरू की मृत्यु हो जाने के कारण संवत 2013 से 2016 के राजस्व अभिलेख व खसरा में बाबू व साबुद्दीन पुत्रगण बदरू व हिस्सा 1/2 नोतोड एवं गजुआ पुत्र रम्जे जाति कल्हार निवासी कस्बा बाडी 1/2 हिस्सा संवत 2010 नोतोड से खातेदार काश्तकार हुये। गजुआ की जाति सहवन से कल्हार के स्थान पर गूजर अंकित हो गयी जो गलत है। बदरू मृतक के परिवार में बाबू समझदार व चालाक व्यक्ति रहा तथा उसने ना जाने कब सायलान की अदम जानकारी व अदम मौजूदगी में वादग्रस्त आराजी में गलत दाखिला खारिज से स्वयं व साबुद्दीन को रिकार्ड में अंकन कराकर वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्सा का विक्रय पत्र वादी/रैस्पो0 को नाबालिग दिखाते हुये किसी अजनबी व्यक्ति बुद्धा पुत्र रम्पे जाति कल्हार निवासी कस्बा बाडी को कर दिया जो किसी भी प्रकार साधिकार नहीं रहा है और ना ही बाबू पुत्र बदरू को वादी/रैस्पो0 के हिस्से को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी/अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी/अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस रैस्पो0, बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश की संज्ञा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्णित तीनों आवश्यक तत्वों प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया तथा मात्र चन्द लाइनों में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण सायल संख्या 01 शरीफन की मृत्यु हो जाने के कारण उसके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधिक प्रनिनिधियों को मूल वाद में अभिलेख पर लेने की कार्यवाही में विचाराधीन था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाये बिना प्रार्थना पत्र निस्तारित करने में कानूनी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 08.02.2016 के बाद उसमें कोई तारीख पेशी नियम ही नहीं की गयी तथा अचानक बिना पक्षकारो को सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल वही प्रकरण निस्तारित किये जा सकते हैं जिनका निस्तारण राजीनामा के माध्यम से हो सकता है। प्रकरण में ना तो कोई राजीनामा हुआ, ना ही कोई सूचना दी गयी तथा पक्षकारो की बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018(2) पेज 1275, 1203, 693, 2018(1) पेज 601 डीएनजे 2018 पेज 456अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि दावा में वर्णित भूमि के वर्तमान में अभिलिखित खातेदार, अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 हैं। रैस्पो0 ने दावा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार बदरू पुत्र सेद खॉ जाति मुसलमान 1/2 हिस्से के एवं गजुआ पुत्र रम्पे जाति कल्हार निवासी कस्बा बाडी 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी रहे हैं। बदरू मृतक के परिवार में बाबू समझदार व चालाक व्यक्ति रहा तथा उसने ना जाने कब सायलान की अदम जानकारी व अदम मौजूदगी में वादग्रस्त आराजी का दाखिला खारिज, स्वयं व साबुद्दीन के पक्ष में कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराकर वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्सा का विक्रय पत्र रैस्पो0 को नाबालिग दिखाते हुये किसी अजनबी व्यक्ति बुद्धा पुत्र रम्पे जाति कल्हार निवासी कस्बा बाडी को कर दिया, जो किसी भी प्रकार साधिकार नहीं है और ना ही बाबू पुत्र बदरू को रैस्पो0 के हिस्से को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त बिन्दु विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त नियमित वाद में तय होगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2066–69 में वर्णित विवादित आराजी में अपीलाण्ट बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। हमारी दृष्टि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा उचित नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति रैस्पो0 के पक्ष में ना होकर, अपीलाण्ट के पक्ष में साबित होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधान के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

5. इस प्रकरण में एक रोचक पहलू यह भी है कि प्रकरण में वादी संख्या शरीफन का देहान्त दिनांक 03.04.2016 को हो चुका था तथा उसके विधिक प्रतिनिधियों को मूल वाद में अभिलेख पर लेने की कार्यवाही भी वादीगण द्वारा की जा चुकी थी एंव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 लम्बित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य की ओर गौर किये बिना एवं मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लाये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निस्तारित कर दिया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पेशी दिनांक 07.12.2016 से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अग्रिम पेशी दिनांक 08.02.2016 नियत की गयी थी। परन्तु प्रकरण 08.02.2016 से पूर्व ही दिनांक 08.01.2016 को पेशी मे रख लिया गया एवं आदेशिका में यह भी अंकित नहीं है कि आगामी पेशी दिनांक 08.02.2016 से पूर्व प्रकरण दिनांक 08.01.2016 को क्यों कर रखा गया ? इसी प्रकार पेशी दिनांक 01.08.2016 को अग्रिम पेशी दिनांक 05.09.2016 नियत की गयी परन्तु दिनांक 05.09.2016 एंव इससे आगे की कोई आदेशिका अंकित नहीं है ? इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 05.09.2016 के बाद, प्रकरण को सीधे ही दिनांक 08.07.2017 को लगभग 10 माह बाद पक्षकारो को बिना सूचना दिये राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में, प्राकृतिक न्याय का पालन किये बिना पारित किया है। जिसमें विधिक त्रुटि होने के कारण हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के आदेश दिनांक 08.07.2017 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official